UPBR010135902017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।

उपस्थित : रामानन्द, ...एच.जे.एस.

Spl. Case E.c Act/983/2017

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोगी

बनाम

ओम हरि शर्मा पुत्र कृष्ण मुरारी शर्मा,

निवासीः–खजुरिया जुल्फकार, थाना इज्जतनगर, बरेली। .....अभियुक्त

मु0अ0सं0–25/2017

धारा–135(1)(ई) विद्युत अधिनियम

थाना–इज्जतनगर, जिला बरेली।

निर्णय

1. विशेष वाद सं0 983/17 में आरोपी ओम हरि शर्मा पर विद्युत अधिनियम की धारा 135(1)(ई) के तहत जुर्म के लिए विचारण किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथांनक इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.01.2017 को समय 15:20 बजे, बहद स्थान खजुरिया जुल्फकार, थाना इज्जतनगर, बरेली, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली में विद्युत विभाग की चेकिंग टीम व अन्य सदस्यों द्वारा अभियुक्त अपने किशन्नी महाराज डेयरी फार्म परिसर में बेईमानी से अनुज्ञाधारी विद्युत विभाग की विद्युत लाईन से सीधे केबिल लगाकर चार किलोवाट की वाणिज्यिक विद्युत चोरी करते हुये पाया गया।

3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना इज्जतनगर, जिला बरेली पर अभियुक्त ओम हरि शर्मा के विरूद्ध मु0अ0सं0 25/2017 अन्तर्गत धारा 135(1)(ई) विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135(1)(ई) के तहत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. दिनांक 16.07.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इंकार करते हुये विचारण की मांग की।

5. अभियोजन की तरफ से निम्नलिखित गवाह परीक्षित कराये गये हैं।

साक्षी	नाम साक्षी	सम्बन्ध/स्थिति
पी0डब्लू0–1	बब्लू कुमार	वादी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	ओमवीर सिंह त्यागी	विवेचक

पी0डब्लू0–3	निरीक्षक गिरीश चन्द्र जोशी	विवेचक

6. अभियोजन की तरफ से निम्नलिखित प्रपत्र साबित कराये गये हैंः

क्रम सं0	प्रपत्र	प्रदर्श	साबितकर्ता
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2.	जांच रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	
3.	बकाये की रसीद	प्रदर्श क–3	
4.	पत्रांक दिनांकित 21.01.2017	प्रदर्श क–4	
5.	चेक एफआईआर	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–3
6.	जीडी कायमी	प्रदर्श क–6	
7.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7	
8.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–8	

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, उसने आरोप के सम्बन्ध में कुछ न कहने का कथन किया तथा मुकदमे को गलत चलना बताया। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

8. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित है, जिसे सिद्ध किये जाने हेतु अभियोजन की तरफ से कुल 3 गवाहों को परीक्षित कराया गया है, साक्ष्य सारांश निम्नवत् हैं,

9. बब्लू कुमार, सहायक अभियंता (पी0डब्लू–1) ने साक्ष्य दिया है कि, दिनांक 04.01.2017 को अवर अभियंता के पद पर प्रवर्तन दल में तैनात था। उस दिन मैं श्री ओमवीर सिंह त्यागी, कां0 कपिल देव, कां0 महीपाल सिंह, कां0 यशवीर सिंह मय संविदा वाहन चालक के साथ पंडित किशन की महाराज डेरी फार्म में समय करीब 15:30 बजे पहुंचे तो पाया कि परिसर में एलटी लाईन के 2 कोर काला केबिल से करीब 4 किलो वाट की वाणिज्यिक विद्युत चोरी पायी गयी, उस पर मात्र 1 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन स्वीकृत था, जबकि अभियुक्त द्वारा वाणिज्यिक बिजली उपयोग कर रहा था जो कि धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आता है। मूल तहरीर पत्रावली में शामिल है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। जांच रिपोर्ट पर मैने अपने हस्ताक्षर किये, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। ओमवीर सिंह त्यागी ने तहरीर व चेकिंग रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसके अतिरिक्त ओम हरि शर्मा के विरूद्ध 559422/–रू राजस्व निर्धारण शुल्क बकाया है जिसमें 5,000/–रूपये का आंशिक भुगतान दिनांक 28.02.2017 को मा0 न्यायालय के आदेश में जमा किया है। अभियुक्त पर वर्तमान में 5,54,422/–रूपये राजस्व निर्धारण बकाया है, रिपोर्ट संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया तथा पत्रांक आर 160 दिनांकित 21.07.2017 की छायाप्रति पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

10. निरीक्षक ओमवीर सिंह त्यागी (पी0डब्लू–2) ने साक्ष्य दिया है कि, दिनांक 04.01.2017 को मैं प्रभारी निरीक्षक के पद पर प्रवर्तन दल बरेली में कार्यरत था। उस दिन मैं श्री दिनेश सिंह, निरीक्षक बब्लू कुमार अवर अभियंता व अन्य आरक्षीगण के साथ समय 15:20 बजे ओमहरि शर्मा के डेरी फार्म खजुरियां जुल्फिकार बरेली चेकि किया तो बताया कि उक्त परिसर पर एक किलोवाट घरेलू कनेक्शन सं0 5208/190820 स्वीकृत पाया गया। अभियुक्त द्वारा घरेलू कनेक्शन से डेरी फार्म में वाणिज्यिक कार्य हेतु विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया। चेकिंग रिपोर्ट बब्लू कुमार जेई ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मैंने चेकिंग रिपोर्ट व तहरीर थाना हाजा पर दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियुक्त पर 559422 रूपये का राजस्व बकाया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त ने 5,000/–रूपये आंशिक राजस्व का भुगतान दिनांक 29.02.2017 को विभाग को अदा किया है। अभियुक्त पर शेष 5,54,422 रूपये का राजस्व निर्धारण बिल बकाया है।

11. निरीक्षक गिरीश चन्द्र जोशी (पी0डब्लू–3) ने साक्ष्य दिया है कि, दिनांक 05.01.2017 को मैं चौकी प्रभारी बैरियर 2 थाना इज्जतनगर पर तैनात था। उस दिन मुझे थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं025/2017 धारा 135 (1)ई विद्युत अधिनियम की विवेचना सुपुर्द की गयी। मेरे द्वारा दिनांक 05.01.2017 को नकल तहरीर वादी, नकल रपट तथा बयान लेखक एफआइआर कां0 गौरव कुमार अंकित किया। कां0 गौरव कुमार मेरे साथ थाना इज्जतनगर में कार्यरत रह चुके हैं। मैंने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है। मूल चेक एफआईआर व जीडी कायमी पत्रावली पर मौजूद है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 डाला गया। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। बाद विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

12. उभय पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन, परिशीलन किया।

13. मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि, क्या दिनांक 04.01.2017 को समय 15:20 बजे, बहद स्थान खजुरिया जुल्फकार, थाना इज्जतनगर, बरेली अभियुक्त ओम हरि शर्मा विद्युत की एल.टी लाईन से अनाधिकृत रूप से केबल जोड़कर कुल 3699 वाट की व्यवसायिक विद्युत की चोरी की गयी ?

विश्लेषण एवं निष्कर्ष:

14. अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियुक्त ने कटिया जोड़कर चार किलो वाट वाणिज्यिक विद्युत की चोरी किया है, जो धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। अभियुक्त ने शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण विभाग में जमा नहीं किया है, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्त ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है, वह निर्दोष है, दोषमुक्त होने योग्य

है।

15. वादी मुकदमा (पी0डब्लू0–1) ने साक्ष्य दिया है कि, दिनांक 04.01.2017 को अवर अभियंता के पद पर प्रवर्तन दल में तैनात था। उस दिन वह अपनी टीम के साथ अभियुक्त की महाराज डेरी फार्म में समय करीब 15:30 बजे पहुंचा और चेकिंग के दौरान पाया कि अभियुक्त अपने डेरी फार्म परिसर में एलटी लाईन से करीब 4 किलो वाट की वाणिज्यिक विद्युत चोरी करते पाया गया, जबकि उस पर मात्र 1 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन स्वीकृत था। साक्षी ने तहरीर, जांच रिपोर्ट, राजस्व बकाया रिपोर्ट एवं पत्रांक आर 160 को क्रमशः प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3 एवं प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। सम्प्रति अभियुक्त पर राजस्व निर्धारण का 5,54,422/–रूपये शेष है।

16– बचाव पक्ष की तरफ से उक्त साक्ष्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है। दूसरे, उसने शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि भी जमा नहीं किया है। जबकि उस पर अंकन 40,000/–रूपये शमन शुल्क एवं अंकन 5,54,422/–रूपये राजस्व निर्धारण देय है। उक्त तथ्यों की पुष्टि साक्षी पी0डब्लू0–1 के परिसाक्ष्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क–4 से होती है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्त पर धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित एवं सिद्ध होता है। अतएव अभियुक्त उक्त आरोप में तद्नुसार दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त ओम हरि शर्मा को धारा 135 विद्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके स्व बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र खण्डित किये जाते हैं। प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

(रामानन्द)
विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6393

दिनॉक–01.07.2026

दिनांक 01.07.2026

1. पत्रावली बाद लंच दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। विद्युत विभाग की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, सिद्धदोष पर कुल 4 किलोवाट वाणिज्यिक विद्युत की चोरी का आरोप सिद्ध पाया गया है, ऐसे में अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय। जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि, सिद्धदोष का यह प्रथम अपराध है, सजा में रियायत की कृपा की जाय।

2. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं सिद्धदोष द्वारा कारित आपराधिक कृत्य के

मद्देनजर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि सिद्धदोष को धारा 135 विद्युत अधिनियम के जुर्म में अंकन 40,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाय तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा। तद्नुसार अभियुक्त अर्थदण्ड से दण्डित होने योग्य है।

आदेश

1– दोषसिद्ध ओम हरि शर्मा को विशेष वाद सं0 983/17, मु0अ0सं0 25/17 अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मामले में अंकन 40,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2– उक्त के अतिरिक्त विद्युत विभाग सिद्धदोष ओम हरि शर्मा पर राजस्व निर्धारण के एवज में देय धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।

(रामानन्द)
विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6393

दिनॉक–01.07.2026

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सिद्धदोष को पढ़कर सुनाया गया।

(रामानन्द)
विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6393

दिनॉक–01.07.2026

————————————

Digitally signed by RAMANAND
Date: 2026.07.02 10:52:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court